

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

वन्यजीव का आखेट करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वन्यजीवों का आखेट करने वाले अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 08.11.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा वन्यजीवों का शिकार करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों—01. रवि सोनकर, 02. जगराम सोनकर, 03. श्रवण सोनकर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वन्यजीवों का शिकार करने की सामग्री व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:—

01. रवि सोनकर पुत्र निवरे सोनकर नि0 ग्राम पम्पा पुरवा मौजा मधवानगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. जगराम सोनकर पुत्र ननकू नि0 पम्पा पुरवा मौजा मधवानगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. श्रवण सोनकर पुत्र प्रहलाद नि0 मधई जोत थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु0अ0सं0—528/23, धारा 51/52 वन्य जीव संरक्षण अधि0 व 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान:—

बहद ग्राम महुअरिया कुआनों वन रेंज काली स्थान के निकट।

बरामदगी:—

01. 01 अदद रस्सी।
02. 01 अदद रस्सी का जाल।
03. 02 अदद सब्बल।
04. 03 अदद लाठी।
05. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त-राहुल कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की मां द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राहुल कोरी पुत्र भुलई कोरी नि० चण्डी पाण्डेय मौजा सिसई थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—335/23, धारा 363,366,376(2)एन भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० राजीव यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त अब्दुल गप्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अब्दुल गप्फार पुत्र मुनीर नि० ग्राम करदा हतवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—483/23, धारा 354,504,506 भादवि 7/8 पाक्सो ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार गौतम मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

वोडाफोन टावर में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 04 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 07 अदद टावर बैट्री व 01 अदद पिकअप बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरों/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 08.11.2023 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी कर वोडाफोन टावर में चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों—01. मो० इमरान, 02. शाकिर, 03. आरिफ, 04. शमशेर उर्फ चूहा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 07 अदद टावर बैट्री व 01 अदद पिकअप बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 24.10.2023 की रात्रि नौव्वा गांव स्थित वोडाफोन टावर से बैट्री चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह द्वारा थाना धानेपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. मो० इमरान पुत्र मो० असलम नि० नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. शाकिर पुत्र जमीर अहमद नि० ठेकेदारपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. आरिफ पुत्र अकरम नि० चूँटीपुरवा मौजा विरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
04. शमशेर उर्फ चूहा पुत्र ननकऊ नि० ग्राम ठेकेदारपुरवा मौजा चैपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—340/23, धारा 379,411,413 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० अयोध्या सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रुपए 35,000 / – के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा हत्या करने के आरोप में अभियुक्त अरविन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अवनीश धर द्विवेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी आशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर सत्र न्यायालय / विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने आजीवन कारावास व रुपये 35,000 / – के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अरविन्द्र शर्मा पुत्र रामाशंकर नि0 राजा मोहल्ला नि0 को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–707 / 2021, धारा 302,328 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त—संदीप कुमार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संदीप कुमार राजपूत पुत्र बाबादीन नि० ग्राम शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—434/23, धारा 363,366,376 भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० बृजेश कुमार गुप्ता मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 08.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड में गई धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी द्वारा थाना को0 देहात पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पास फर्जी ICICI Customer care no. 7439336393 से कॉल आया और कार्ड की जानकारी प्राप्त करने लगा चूंकि बैंक मैनेजर श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी के पास ICICI का कार्ड पहले से था जिसकी वजह से कॉल उठा लिया कुछ देर बाद text message KYC के लिए Link आया Link को open करते ही श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी जी के क्रेडिट कार्ड से फ्राडस्टर के द्वारा online shopping के तहत redmi mobile telecom की खरीददारी कर लिया गया था जिसके संबंध में श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी स्टेट बैंक ऑफ बनघुसरा के द्वारा कोतवाली देहात साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत की गयी थी। कोतवाली देहात साइबर हेल्प डेस्क द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए 1930 पर आनलाइन शिकायत करवा कर साइबर पुलिस पोर्टल पर काम कर redmi mobile telecom कंपनी को मेल कर समन्वय स्थापित कर नोडल अधिकारी से वार्ता कर खरीदे गये मोबाइल की खरीददारी को निरस्त करा दिया गया। तथा आज दिनांक 08.11.2023 को स्टेट बैंक मैनेजर बनघुसरा श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी थाना कोतवाली देहात गोण्डा का साइबर फ्रॉड में गया शतप्रतिशत पैसा वापस करा दिया गया। श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी का 28999/- रुपये वापस मिल जाने पर श्री मृत्युन्जय कुमार चतुर्वेदी स्टेट बैंक ऑफ बनघुसरा थाना कोतवाली देहात द्वारा प्रभारी निरीक्षक व साइबर हेल्प डेस्क कोतवाली देहात जनपद गोण्डा का आभार व्यक्त किया गया।